alicds@gmail.com

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांक: एफ 15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2016–17 117048-394 जयपुर, दिनांक : 29-6-18

1. **समस्त उप निदेशक, मबावि।**
2. **समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।**
3. **समस्त प्रभारी अधिकारी वाद,..............................मुख्यालय।**

विषयः– लाईटस वेबसाईट पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा बैठक बाबत।
सन्दर्भः– न्याय विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 28.05.2018 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लाईटस सॉफटवेयर पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा हेतु शासन संयुक्त सचिव, न्याय विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2018 व 24.05.2018 को बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 28.05.2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार प्रकरणों की समीक्षा कर लाईटस सॉफटवेयर पर अपडेशन की सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्रभारी अधिकारी उक्तानुसार संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही कर लाईटस सॉफटवेयर पर अपडेट/इन्द्राज कराना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देशो की पूर्ण पालना की जावे अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2016–17 जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मबावि, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, राज. जयपुर।
3. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईटस एवं उप शासन सचिव, मबावि विभाग, राज. जयपुर।
4. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकः प0 12(1)म.बा.वि./2016/पार्ट–।। जयपुर, दिनांक 28/05/2018

1. **निदेशक,**
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गॉधी नगर,
जयपुर–302015

2. **आयुक्त,**
महिला अधिकारिता,
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर–302004

951/2018

विषयः– न्यायालय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।
संदर्भः– इस विभाग के समसंख्यक पत्रों दिनांक 12.12.2017, 10.01.2018, 30.01.2018, 27.02.2018 एवं 19.04.2018।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा न्यायिक प्रकरणों में लाईट्स सॉफ्टवेयर से ही प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश, प्रकरण प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में ही करने के संबंध में लिखा गया था, किन्तु उक्त संदर्भ में कार्यवाही संतोषजनक नहीं (40.87%) होने के कारण न्याय विभाग ने पुनः स्मरण पत्र क्रमांक प. 1(10)बैठक/न्याय/2013 पार्ट दिनांक 22.05.2018 द्वारा उक्त बाबत निर्देश प्रदान किये है।

अतः न्याय विभाग से प्राप्त उक्त पत्र की छायाप्रति मय संलग्नक के संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश, प्रकरण प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में लाईट्स सॉफ्टवेयर से ही कराये जाने के संबंध में सभी संबंधितो को निर्देशित करा कर, इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(एन.एल.जेवरिया)
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी
एवं शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

DY 29/5/18 ADCD

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी
एवं शासन उप सचिव

Director, ICDS
Raj Jaipur
Receipt No. 9194
Date 29/5/18

29/5

6

321
25/05/18 **स्मरण पत्र–अष्टम**

2027
24/5/18

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

CDS
CWE
DS/WCD

क्रमांकः प.1(10) बैठक/न्याय/2013 पार्ट जयपुर, दिनांक 22/05/2018

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

विषयः–न्यायालय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.06.17, 19.09.17, 24.10.17, 22.11.17, 19.12.17, 18.01.17, 22.02.18 एवं 12.04.18 के माध्यम से न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति प्रकरण प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में ही करवाया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में अद्यतन रिपोर्ट (संलग्न) की समीक्षा करने से यह दृष्टिगोचर होता है कि आपके विभाग/कार्यालय द्वारा उक्त विषयान्तर्गत संतोषपद्र कार्य नहीं किया जा रहा है जिसे किया जाना न्यायिक प्रकरणों के प्रबंधन हेतु आवश्यक है।

उक्त वर्णन की पृष्ठभूमि में आपसे पुनः अनुरोध है कि आपके कार्यालय तथा अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति प्रकरण प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में ही करवाया जाना सुनिश्चित करने का श्रम करें।

24/5/18

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

संयुक्त शासन सचिव

1452

Government of Rajasthan

Justice Department

(Litigation Information Tracking & Evaluation System)

(As on 21/05/2018)

Pre Decision Date Wise Analysis Report (All)

(From: 11/06/2017 To: 21/05/2018)

S. No.	Admin Deptt. Name	Total Cases Registered	OIC Appointed			% OIC Appointed within 15 days
			within 15 days	15 to 30 days	More than 30 days	
1	Disaster Management and Relief Department, Jaipur	1	0	0	1	0.00
2	Department of Minority Affairs, Jaipur	53	2	6	45	3.77
3	Law and Legal Affairs Department, Jaipur	49	2	10	36	4.08
4	Transport Department, Jaipur	199	9	75	113	4.52
5	Tourism Department, Jaipur	22	2	8	12	9.09
6	Administrative Reforms and Co-ordination Department, Jaipur	9	1	1	7	11.11
7	Rural Development Department, Jaipur	72	9	8	55	12.50
8	Panchayati Raj Department, Jaipur	1452	249	381	782	17.15
9	Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Jaipur	88	16	24	45	18.18
10	Medical Education Department, Jaipur	209	42	27	129	20.10
11	Labour and Employment Department, Jaipur	73	15	13	41	20.55
12	Rajasthan Public Service Commission	628	139	202	274	22.13
13	Art, Culture and Archaeology Department, Jaipur	9	2	1	6	22.22
14	Agriculture Department	216	50	64	96	23.15
15	Medical and Health Department, Jaipur	1294	306	368	585	23.65
16	Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Development Department, Jaipur	99	24	26	47	24.24
17	School and Sanskrit Education Department, Jaipur	1477	414	180	862	28.03
18	Higher Education Department, Jaipur	533	155	142	197	29.08
19	Technical Education Department, Jaipur	85	25	11	43	29.41
20	Energy Department, Jaipur	2853	895	638	1228	31.37
21	Forest Department, Jaipur	401	129	54	206	32.17
22	Election Department, Jaipur	3	1	0	2	33.33
23	Local self Government Department, Jaipur	997	336	201	429	33.70
24	Planning Department, Jaipur	8	3	3	2	37.50
25	Co-operative Department, Jaipur	259	100	40	114	38.61
26	Public Works Department, Jaipur	449	179	61	201	39.87
27	Women and Child Development Department, Jaipur	230	94	61	63	40.87
28	Industries Department, Jaipur	481	207	87	169	43.0[illegible]
29	Public Health Engineering Department, Jaipur	537	234	84	216	43.58
30	Water Resources Department, Jaipur	415	184	90	134	44.34
31	General Administration Department (GAD) , Jaipur	9	4	1	4	44.44
32	Tribal Area Development Department	2	1	0	1	50.00
33	Revenue Department, Jaipur	1696	851	375	403	50.18
34	Department of Personnel Jaipur	139	74	31	32	53.24
35	Ayurved Department, Jaipur	101	54	11	19	53.47
36	Urban Development and Housing Department, Jaipur	1384	849	163	343	61.34
37	Social Justice and Empowerment Department, Jaipur	107	70	10	25	65.42
38	Devasthan Department, Jaipur	73	51	4	18	69.86
39	Information Technology and Communication Department, Jaipur	8	6	1	1	75.00
40	Home Department, Jaipur	1489	1129	108	205	75.82
41	Mines and Petroleum Department, Jaipur	604	465	48	82	76.99
42	Finance Department, Jaipur	1819	1538	120	139	84.55
43	Environment Department, Jaipur	56	48	1	3	85.71
44	Indira Gandhi Nahar Project Department	111	100	2	9	90.09
45	Jaipur Development Authority	1805	1665	33	104	92.24
46	Command Area Development, Jaipur	54	50	2	1	92.59
47	Harish Chandra Mathur Rajasthan Institute of Public	1	1	0	0	100.00